संदर्भ सं.राबैं.पुनर्वित्त / 490/ए-1 (जन) /2021-22

परिपत्र सं.174 /पुनर्वित्त-51/2021 02 सितंबर 2021

NABARD

अध्यक्ष,
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

अधयक्ष और प्रबंध निदेशक,
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंक

महोदय,

मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ) के वित्तपोषण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त का प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नीति	**Provision of Short-Term (ST) refinance to RRBs for financing Seasonal Agricultural Operations (SAO) - Policy for F. Y. 2021-22**
कृपया दिनांक 11 अगस्त 2020 का हमारा परिपत्र संख्या 219/डॉर-74/2020 देखें जिसके माध्यम से नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 21(1) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को मौसमी कृषि परिचालनों (एसएओ) के वित्तपोषण हेतु अल्पावधि पुनर्वित्त के लिए नाबार्ड की नीति संप्रेषित की गई थी. हम यह सूचित करते हैं कि वित्त वर्ष 2021-22 की अल्पावधि (मौ.कृ.प.) पुनर्वित्त नीति के तहत पात्रता मानदंड अनुलग्नक I (पैरा 3.2) में दिए गए विवरण के अनुसार आंतरिक जोखिम रेटिंग मानदंडों पर आधारित होंगे. यह आरआरबी को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण प्रवाह में वृद्धि करने और निर्दिष्ट जिलों (सूची संलग्न) में जहां ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है, किफायती ऋण को बढ़ावा देने में सक्षम करेगा	Please refer to our Circular No. 219/ DoR-74/2020 dated 11 August 2020, communicating NABARD's policy for F. Y. 2020-21 for provision of short-term refinance to the Regional Rural Banks (RRBs) under Sec. 21(1) of the NABARD Act, 1981, for financing Seasonal Agricultural Operations (SAO). We advise that the eligibility criteria under ST (SAO) Refinance Policy for F. Y. 2021-22 will be based on internal risk rating norms as per the details given in Annexure I(para 3.2). This will enable RRBs to increase agriculture credit flow in rural areas and give a boost to affordable credit in specified districts (list enclosed) where the credit flow is comparatively low.
2. वर्ष 2021-22 के दौरान, पुनर्वित्त पर ब्याज दर 4.5% प्रति वर्ष (भारत सरकार द्वारा संशोधन के अधीन, यदि कोई हो) होगी - केवल उन्हीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए जो अपनी भागीदारी सहित, 7% प्रति वर्ष या उससे कम की दर से प्रति उधारकर्ता 3.00 लाख रुपए तक का फसल ऋण प्रदान करते हैं. इस संबंध में, बैंक को अनुबंध **II** के अनुसार एक वचन-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है.	2. The rate of interest on refinance will be 4.5% p.a. during the year 2021-22, (subject to revision, if any, by Govt. of India) for only those RRBs which provide, including their own involvement, crop loans up to Rs 3.00 lakh per borrower at 7% p.a. or less. The Bank is required to furnish an undertaking to this effect as per Annexure II.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325• Fax: +91 22 26530090• E-mail: dor@nabard.org

3. आप सभी शाखाओं को सूचित करें कि वे केसीसी योजना के कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और उधार लेने वाले सदस्यों को रुपे कार्ड जारी करें. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केसीसी के संबंध में मासिक प्रगति की रिपोर्ट भी एन्श्योर पोर्टल पर देनी है.	3. You may advise all the branches to accord top priority for implementation of KCC scheme by issuance of RuPay Card to the borrowing members. RRBs are also required to report the monthly progress with regard to KCCs on the ENSURE portal.
4. वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक को पुनर्वित्त आबंटन के बारे में हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आपको सूचित किया जाएगा. आप ऋण-सीमा की मंजूरी के आवेदन के साथ-साथ पहले आहरण के लिए अपना आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं.	4. Refinance allocation for your Bank for the year 2021-22 will be communicated to you, by our Regional Office (RO). You may submit an application for sanction of credit limit along with the first drawal, as per the prescribed proforma to the concerned RO of NABARD.
5. कृपया इस पत्र की प्राप्ति सूचना हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को दें.	5. Please acknowledge receipt of this letter to our Regional Office.

भवदीय,

(एल आर रामचंद्रन)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: यथोक्त

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित्त विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325• Fax: +91 22 26530090• E-mail: dor@nabard.org

NABARD

अनुबंध - I

मौसमी कृषि परिचालनों (एसएओ) के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त का प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नीति

Provision of Short-Term refinance by NABARD to RRBs for financing Seasonal Agricultural Operations - Policy for F. Y. 2021-22

1. अल्पावधि (एसएओ) सीमा की परिचालन अवधि

Operative period of ST (SAO) limit

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालनों) सीमा की परिचालन अवधि 01.04.2021 **से** 31.03.2022 तक होगी. केवल परिचालन अवधि के दौरान संवितरित फसल ऋण के लिए बैंकों को अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालनों) पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा.

The operative period of ST (SAO) limit **for F. Y. 2021-22 is 01.04.2021 to 31.03.2022**. ST (SAO) refinance will be provided to the Banks in respect of crop loans disbursed only during the operative period.

2. समेकित सीमा की मंजूरी Sanction of consolidated limit

बैंकों को यह ऋण सीमा नाबार्ड अधिनियम, 1981 की **धारा** 21(4) के साथ पठित धारा 21(1)(i) के अंतर्गत बैंक द्वारा निष्पादित डीपीएन के समक्ष मंजूर की जाएगी.

a. The limit will be sanctioned to Banks under **Sec. 21(1) (i)** read with **Sec. 21(4)** of the NABARD Act, 1981 against DPN executed by Bank.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रत्येक आहरण के समय लिखित रूप में घोषित करना है कि प्रस्तावित आहरण और पहले से प्राप्त पुनर्वित्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों के समक्ष है और पर्याप्त अनतिदेय ऋणों द्वारा कवर किया गया है. बैंकों को नाबार्ड को नियमित रूप से भौतिक रूप में या डिजीटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एनओडीसी विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है.

b. RRB has to declare in writing, at the time of each drawal that the drawal preferred and the refinance already availed are against the loans provided by RRBs and are covered by adequate non-overdue loans. Banks are required to submit NODC statement to NABARD regularly either in physical form or through digitized platform.

3. पात्रता मानदंड Eligibility norms

3.1 लेखा परीक्षा Audit

वर्ष 2019-20 के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लेखापरीक्षा पूरी हो जानी चाहिए थी और वित्तीय विवरणों के साथ संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वर्ष की पहली तिमाही में ऋण आवेदन पर विचार करने के लिए नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए थी. इसके अलावा वर्ष 2020-21 के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लेखा परीक्षा पूरी हो जानी चाहिए और उसकी रिपोर्ट 30.06.2021 तक प्रस्तुत की जानी चाहिए. 01.07.2021 को या उसके बाद पुनर्वित्त की मंजूरी/आहरण की अनुमति केवल उन्हीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी जाएगी, जिनके पात्रता मानदंडों की स्थिति संतोषजनक है और जिन्होंने लेखा परीक्षा पूरी की है और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत कर दी है.

The Audit of RRBs for the year 2019-20 should have been completed and the relative audit reports along with financial statements should have been submitted to the concerned Regional Office of NABARD for considering the loan application in the first quarter of the year. Further, the audit of RRBs for 2020-21 should be completed and the report submitted by 30.06.2021. Sanction/Drawals of refinance on or after 01.07.2021 will be permitted only to such RRBs, which have completed the audit and submitted the relevant audit report to the concerned RO of NABARD and subject to satisfactory position regarding the eligibility norms

3.2 नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आंतरिक जोखिम रेटिंग

Internal Risk Rating of RRBs by NABARD

3.2.1 विशेष रूप से जरूरतमंद कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण देने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सीआरएआर(CRAR), निवल एनपीए (Net NPA) और निवल लाभ (Net Profit) के मानदंड में छूट प्रदान की जाए और उन सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधि पुनर्वित्त प्रदान किया जाए जिनकी आंतरिक जोखिम रेटिंग श्रेणी एनबीडी1 से एनबीडी7 है.

To encourage more lending especially to the needy agricultural sector, it has been decided to waive the criteria of CRAR, Net NPA and Net Profit for RRBs and extend Short Term refinance to all RRBs whose internal Risk Rating Category is NBD1 to NBD7.

3.2.2. जोखिम प्रबंधन विभाग (आरएमडी) जारी दिशानिर्देशों के आधार पर नाबार्ड द्वारा सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जोखिम रेटिंग की जाएगी और एनडीबी1 से एनडीबी7 की जोखिम रेटिंग प्राप्त करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अल्पावधि (मौ.कृ.प.) के तहत पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे.

Risk rating of all RRBs will be done by NABARD based on the guidelines issued by RMD and RRBs obtaining Risk rating of NDB 1 to NDB 7 will be eligible for refinance under ST(SAO).

NABARD

3.2.3 जोखिम रेटिंग का मूल्यांकन सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित वित्तीय आधार पर किया जाएगा. हालांकि, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट के बीच किसी भी भिन्नता की स्थिति में, नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट जोखिम रेटिंग के लिए मान्य होगी. बैंक के नियंत्रण से बाहर किसी भी कारण से, यदि बैंक पात्रता मानदंड को पूरा करने में असमर्थ है तो नाबार्ड पर्याप्त सुविधा/प्रतिभूति के साथ कमतर पात्रता मानदंडों पर विचार कर सकता है.

Risk rating will be assessed based on the financial as indicated in the statutory audit report. However, in the event of any variation between the audit report and the Inspection Report of NABARD, the latter will be reckoned for risk rating. In case of any reason beyond the control of the Bank, the bank is unable to fulfil the eligibility criteria, NABARD may consider a lower eligibility norms, with adequate comforts/ security.

3.3 पहली तिमाही अर्थात 01 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के दौरान पात्रता मानदंडों का निर्धारण 31.03.2020 या 31.03.2021 (यदि उपलब्ध हो) के अनुसार बैंक की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होगा. 01 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए, पात्रता मानदंडों का निर्धारण 31.03.2021 को लेखा परीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होगा. 01.07.2021 को या उसके बाद मंजूरी/आहरण की अनुमति केवल उन्हीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी जाएगी, जिन्होंने लेखा परीक्षा पूरी कर ली है और नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संतोषजनक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जमा कर दी है, अथवा ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिन्हें विशेष मामले के रूप में अन्यथा अनुमति प्रदान की गई हो.

Eligibility criteria during the first quarter ie. 1 April 2021 to 30 June 2021 will be based on the audited financial position of the bank as on 31.03.2020 or 31.03.2021 (if available). From 1st July 2021 to 31st March 2022, eligibility criteria will be based on audited financial position as on 31.03.2021. Sanction/Drawals on or after 01.07.2021 will be allowed only to such RRBs, which have completed the audit and submitted a satisfactory audit report to the concerned RO of NABARD, unless otherwise permitted as a special case.

3.4. बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में सुधार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करते हुए, नाबार्ड एसटीआरआरबी की समूह निधि के 25% का उपयोग उन निर्दिष्ट जिलों (सूची संलग्न) के लिए करेगा जहां ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है. नाबार्ड द्वारा चिन्हित जिलों में उपयोग की निगरानी आरआरबी द्वारा की जाएगी . इसके के लिए तिमाही के पूरा होने के 7 दिनों के भीतर, संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक III) में त्रैमासिक एमआईएस जमा करने होंगे. तीसरी तिमाही के अंत में कॉर्पस के कम उपयोग के मामले में, यदि कोई हो, उस राशि को अन्य जिलों में पुन: आबंटित किया जा सकता है.

Following the RBI instructions to improve the flow of credit to the priority sector by Banks, NABARD will utilize 25% of the corpus of the STRRB fund towards identified districts (list enclosed) where credit flow is comparatively low. The utilization in the identified districts will be monitored by NABARD by insisting the submission of quarterly MIS by RRBs in the attached format (Annexure III), within 7 days after completion of the quarter. In case of underutilization, if any at the end of the third quarter, the same may be reallocated to the other districts.

4. पुनर्वित्त की मात्रा Quantum of refinance

4.1 मंजूरी के लिए पुनर्वित्त की मात्रा निम्नानुसार होगी:
The quantum of refinance for sanction will be as under:

4.1.1 सामान्य क्षेत्र General Region

नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जोखिम रेटिंग Risk Rating of RRB by NABARD	**पात्र सीमा Eligible limit** [वास्तविक ऋण कार्यक्रम (आरएलपी) के प्रतिशत के रूप में] As a percentage to the realistic lending program (RLP)
एनबीडी1 NBD1 – एनडीबी4 NDB4	20%
एनबीडी5 NBD5 – एनडीबी7 NDB7	15%
एनबीडी8 NBD8 – एनडीबी9 NDB9	पात्र नहीं Not eligible

4.1.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 25% के अतिरिक्त पुनर्वित्त के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे:

RRBs in the North Eastern Region, Jammu & Kashmir, Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Andaman & Nicobar Islands, will be eligible for additional refinance of 25% as under:

नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जोखिम रेटिंग Risk Rating of RRB by NABARD	**पात्र सीमा Eligible limit** [वास्तविक ऋण कार्यक्रम (आरएलपी) के प्रतिशत के रूप में] As a percentage to the realistic lending program (RLP)
एनबीडी1 NBD1 – एनडीबी4 NDB4	45%
एनबीडी5 NBD5 – एनडीबी7 NDB7	40%
एनबीडी8 NBD8 – एनडीबी9 NDB9	पात्र नहीं Not eligible

4.1.3 पूर्वी क्षेत्र अर्थात बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों (भारत सरकार की बीजीआरईआई योजना के अंतर्गत) में स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्वित्त के लिए लागू सामान्य मात्र के अलावा 5% की अतिरिक्त ऋण सीमा के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे:

RRBs in Eastern Region viz. Bihar, Orissa, West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh States and 28 districts in Eastern Uttar Pradesh (under BGREI scheme of Govt. of India) will be eligible for additional refinance of 5% over and above the applicable normal quantum of refinance, as under:

नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जोखिम रेटिंग Risk Rating of RRB by NABARD	**पात्र सीमा Eligible limit** [वास्तविक ऋण कार्यक्रम (आरएलपी) के प्रतिशत के रूप में] As a percentage to the realistic lending program (RLP)
एनबीडी1 NBD1 – एनडीबी4 NDB4	25%
एनबीडी5 NBD5 – एनडीबी7 NDB7	20%
एनबीडी8 NBD8 – एनडीबी9 NDB9	पात्र नहीं Not eligible

4.2 एक वर्ष के लिए वास्तविक ऋण कार्यक्रम (आरएलपी) को वर्ष के दौरान संवितरित किए जाने वाले अनुमानित फसल ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है (अर्थात बकाया राशि को छोड़कर जिसमें अतिदेय शामिल हैं). वर्ष 2021-22 के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित फसल ऋण में औसत वृद्धि दर के आधार पर आरएलपी निकाला जा सकता है (पिछले चार वर्षों के फसल ऋण संवितरण आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए). हालांकि, जमीनी स्तर की वास्तविकताओं और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, नाबार्ड ऐसे आरएलपी स्वीकार कर सकता है जो बैंक द्वारा निर्धारित आरएलपी से कम या अधिक हो.

Realistic Lending Program (RLP) for a year has been defined as the crop loans estimated to be disbursed during the year (i.e. not the outstanding which includes overdues). The RLP for the year 2021-22 may be arrived at, on the basis of average growth rate in crop loans disbursed during previous three years (taking into account the crop loans disbursed data for last four years). However, keeping in view the ground level realities and other facts, if any, NABARD may accept RLP which may be lower or higher than the RLP worked out by the Bank.

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का विलय Merger of RRBs

विलय किए गए बैंकों के मामले में तत्कालीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 31 मार्च 2020 की स्थिति पर विशेष लेखा परीक्षा या समग्र लेखापरीक्षित स्थिति के आधार पर अधिसूचना/विलयन की तारीख पर नए/विलय किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 2021-22 के लिए ऋण सीमा का निर्धारण होगा. इसके साथ ही, यदि 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट उपलब्ध हो तो उस बैंक को ऋण सीमा प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है.

In case of merged banks, the financial position of the new/ merged RRBs as on the date of notification/ merger based on special audit or the aggregate audit position as on 31.03.2020 of the erstwhile RRBs will form the basis for sanction of limit to such new RRB for the year 2021-22. Further, if the statutory audit position as on 31.03.2021 is available, the same will be considered for sanction of credit limit to the banks.

6. पुनर्वित्त का उद्देश्य Purpose of Refinance

6.1 इस सुविधा के तहत पुनर्वित्त का उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों को अल्पावधि फसल ऋण के संवितरण को बढ़ाना है.

Purpose of refinance under this facility shall be to enhance disbursement of short term crop loans to small and marginal farmers.

6.2 काश्तकार किसानों (टीएफ) / मौखिक पट्टेदारों (ओएल) का वित्तपोषण Financing of Tenant Farmers (TF) / Oral Lessees (OL)

काश्तकार किसानों और मौखिक पट्टेदारों के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए महत्व को ध्यान में रखते हुए, नाबार्ड ने संयुक्त देयता समूह योजना तैयार की है और इसे बैंकों के बीच परिचालित किया है. बैंकों को इस योजना के तहत या अन्य योजना के तहत काश्तकार किसानों/मौखिक पट्टेदारों को अधिकतम वित्तपोषण सुनिश्चित करना चाहिए.

Considering the importance attached by Govt. of India for financing of tenant farmers and oral lessees, NABARD has prepared Joint Liability Group Scheme and circulated amongst the banks. The banks should ensure maximum financing to TF / OL under this Scheme or otherwise.

6.3 उप-सीमाओं की स्वीकृति Sanction of sub-limits

वित्तीय वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा, अल्पावधि (मौ.कृ.प.) ऋण-सीमा के अंतर्गत, नीचे दी गई गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए अलग उप-सीमा स्वीकृत की जाएगी. तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण-सीमा आवेदन में उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए ऋण-सीमा आवश्यकताओं को अलग से इंगित कर सकते हैं.

For financing the below-mentioned activities, separate sub-limits under ST (SAO) credit limits will be sanctioned by NABARD for the FY. Accordingly, RRB may indicate credit limit requirements for the above purposes separately, in the credit limit application

क) अन्य फसलों की खेती (ओसी) Cultivation of other crops (OC),

ख) राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन (एनएमओओपी- तिलहन) के अंतर्गत चिन्हित जिलों में तिलहन की खेती,

Cultivation of oilseeds under National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP-Oilseeds) in the identified districts,

ग) चिन्हित जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहन की खेती - दलहन (एनएफएसएम - दलहन) और

Cultivation of pulses under National Food Security Mission – Pulses (NFSM – Pulses) in the identified districts and

घ) जनजातीय समुदाय विकास (डीटीपी) के तहत जनजातीय वर्ग की उत्पादन संबंधी ऋण आवश्यकताएं.

Production credit requirements of tribals under Development of Tribal Population (DTP).

7. पुनर्वित्त पर ब्याज दर Rate of interest on Refinance

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी सहभागिता राशि सहित 7% दर से प्रति उधारकर्ता 3.00 लाख रुपए तक का फसल ऋण प्रदान करेंगे उनके लिए पुनर्वित्त पर ब्याज दर 4.5% प्रति वर्ष होगी (सरकार द्वारा संशोधन, यदि कोई हो, के अधीन) यह 01.04.2021 से आहरित पुनर्वित्त पर लागू होगा. ब्याज पहले की तरह 01 अक्टूबर और 01 अप्रैल को छमाही अंतराल पर देय है. बैंक को इस संबंध में अनुबंध II के अनुसार वचनपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है.

The rate of interest on refinance will be 4.5% p.a. during F. Y. 2021-22, subject to revision, if any, by Govt. of India, for only those RRBs which provide, including their own involvement, crop loans up to Rs 3.00 lakh per borrower at 7% p.a. or less. This will be applicable to refinance drawn 01.04.2021 onwards. Interest is payable at half-yearly rests on 01 October and 01 April, as hitherto. The Bank is required to furnish undertaking as per the Annexure II in this regard.

8. परिचालनात्मक अनुशासन Operational discipline

8.1 आहरण और चुकौती Drawal and Repayment

ऋण-सीमा के समक्ष आहरित राशि मांग करने पर चुकानी होगी है. तथापि, ऋण-सीमा पर प्रत्येक आहरण को एक अलग ऋण के रूप में माना जाएगा और जिसे आम तौर पर आहरण की तारीख से 12 महीने की अवधि में चुकाया जाएगा. नाबार्ड द्वारा 12 महीने की समाप्ति से पहले चुकौती (पूर्ण अथवा आंशिक रूप से) न्यूनतम 15 कार्य-दिवसों के नोटिस या **मूलधन के साथ 15 दिनों**

के ब्याज भुगतान के साथ स्वीकार कि जा सकती है. तथापि, यदि आहरण की तिथि से 30 दिन के बाद चुकौती की जाती है तो नोटिस अवधि में छूट दी जा सकती है.

The amount drawn against the limit are repayable on demand. However, each drawal on the credit limit would be treated as a separate loan and would normally be repayable in a period of 12 months from the date of drawal. Repayments (partial of full) before the expiry of 12 months may be accepted by NABARD with minimum notice of 15 working days **or with interest payment of 15 days along with the principal.** The notice period may, however, be waived in case the repayment is made 30 days after the date of drawal.

8.2 अल्पावधि (मौ.कृ.प.) सीमा के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा पुनर्वित्त का आहरण वित्तीय वर्ष के दौरान जारी ऋण में पुनर्वित्त के प्रतिशत तक सीमित होगा.

Drawal of refinance by RRBs under ST (SAO) limit will be restricted to applicable percentage of refinance of the loan issued during the FY**.**

8.3 अनतिदेय कवर NODC

ऋण-सीमा पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आहरण की अनुमति सभी उप-सीमाओं (उप-सीमा वार एनओडीसी के बजाय) के अंतर्गत कुल एनओडीसी की उपलब्धता के अधीन होगी. इस प्रयोजन के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक एनओडीसी विवरण प्रस्तुत करना होगा ताकि वह अगले महीने की 20 तारीख तक प्रत्यक्ष रूप से या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंच सकें. यदि समग्र एनओडीसी उपलब्ध है तो एनओडीसी में उप-सीमावार कमी के लिए कोई दंडात्मक ब्याज प्रभारित नहीं होगा.

Drawals by RRBs on the credit limits will be permitted subject to the availability of aggregate NODC under all sub-limits (instead of sub-limit wise NODC). For this purpose, RRBs are required to furnish to the concerned RO of NABARD, monthly NODC statement so as to reach latest by 20th of the succeeding month either physically or through digital platform. For sub-limit wise shortfall in NODC, no penal interest will be charged, if overall NODC is available.

प्रत्येक आहरण के समय, आहरण की तिथि को कुल एनओडीसी की उपलब्धता के संबंध में बैंक को निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. इसके अलावा, बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दिन, कुल सामान्य अल्पावधि (मौ.कृ.प.) बकाया और अतिरिक्त अल्पावधि (मौ.कृ.प.) बकाया उस तारीख को उपलब्ध कुल एनओडीसी से अधिक न हो.

At the time of each drawal, a certificate in the prescribed format, regarding the availability of aggregate NODC, as on the date of drawal will have to be furnished by the bank. Moreover, it may be ensured by the bank that on any day, total of normal ST (SAO) outstanding and the Additional ST (SAO) outstanding should not exceed the aggregate NODC available on that date.

NABARD

8.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एनओडीसी में कमी, यदि कोई हो, को तुरंत दूर करना चाहिए, ताकि नाबार्ड से उधार के लिए पर्याप्त अनतिदेय कवर की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके. यदि कमी एक महीने के भीतर पूरी नहीं होती है, तो संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को इस तरह की कमी के होने की तारीख से कमी के पूरा होने की तिथि तक एनओडीसी में कमी की राशि पर, कमी की अवधि के लिए 1% का अतिरिक्त ब्याज देना होगा.

RRBs should clear the deficit in NODC, if any, immediately, so as to ensure availability of adequate non-overdue cover for borrowings from NABARD. In case the deficit is not regularized within one month, from the date of occurrence of such deficit, the RRB concerned will have to pay additional interest of 1% on the amount of deficit in NODC, for the duration of the deficit, till the position is regularized.

8.5 बकाया ऋण में मूलधन और ब्याज को अलग-अलग रखना

Segregation of principal and interest in the loans outstanding

वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बकाया राशि से ब्याज घटक (अतिदेय/अनतिदेय ब्याज) को अलग रख सकते हैं और नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता की पात्रता तय करने के लिए, ऋण-सीमा और आहरण आवेदन दोनों के लिए अपने आवेदनों में केवल मूल ऋण राशि का उल्लेख करें. इसी प्रकार, मासिक एनओडीसी विवरण में ऋण के केवल मूलधन के अंश (जारी, वसूली गई राशि, बकाया और अतिदेय) की सूचना दी जानी चाहिए.

As hitherto, RRBs may continue to exclude the interest component (overdue / non-overdue interest) from the outstanding amount and report the principal loan amount only, both in their applications for credit limit and drawal application, for arriving at the eligibility for refinance support from NABARD. Besides as hitherto, only the principal portion of loans (issued, recovered, outstanding and overdue) should be reported in the monthly NODC statements.

8.6 चूक को दूर करना Clearance of default

जो बैंक निर्धारित देय तिथियों तक मूलधन, ब्याज और/या किसी अन्य देय राशि के भुगतान में नाबार्ड के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने में विफल रहते हैं, वे उस चूक के दूर होने तक नाबार्ड से किसी भी पुनर्वित्त सुविधा के लिए पात्र नहीं होंगे. मूलधन के पुनर्भुगतान और/या ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में, बैंक नाबार्ड को **10% प्रति वर्ष** की दर से चूक की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और यह राशि चूक की अवधि तक देय होगी. दंडात्मक ब्याज दरें समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं.

Banks which fail to honour their commitments to NABARD in repayment of principal, payment of interest and / or any other dues by the prescribed due dates, will **not** be eligible for any refinance facility from NABARD till the clearance of default in question. In the event of default in repayment of principal and /or payment of interest, the Bank will be liable to pay to NABARD interest on amount of default **at 10% p.a.** for the period for which the default persists. The penal interest rates are subject to revision from time to time.

8.7 निरीक्षण का अधिकार Right to inspection

नाबार्ड बैंक के बही-खातों का निरीक्षण करने/करवाने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

NABARD reserves the right to inspect / get inspected the books of accounts of the bank.

8.8 विशेष लेखा परीक्षा करवाने का अधिकार Right to cause special audit

नाबार्ड के पास स्वयं या अन्य एजेंसियों के माध्यम से बैंकों के खातों और अन्य प्रासंगिक सामग्री की विशेष लेखा परीक्षा कराने का अधिकार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक द्वारा खातों और अन्य प्रासंगिक सामग्री को नियम और विनियमों के अनुसार बनाए रखा जाता है और पुनर्वित्त के नियमों और शर्तों का पालन किया जाता है.

NABARD will have the right to cause special audit of the books of accounts and other relevant material of the Banks either by itself or through other agencies to ensure that the same are maintained as per the rules and regulations in force and the terms and conditions of refinance are adhered to by the bank.

8.9 अधिक आहरण Excess drawal

फसल ऋण संवितरण या एनओडीसी के बारे में गलत डेटा की रिपोर्टिंग के कारण पुनर्वित्त की अनुमेय सीमा से अधिक आहरण के मामले पर नाबार्ड गंभीरता से विचार करेगा. ऐसे मामलों में, नाबार्ड बैंक द्वारा लिए गए अतिरिक्त पुनर्वित्त को 3 दिनों के भीतर 1% प्रति वर्ष के दंडात्मक ब्याज के साथ वापस माँग सकता है.

NABARD will take a serious view in case of availment of drawals beyond permissible quantum of refinance on account of reporting of incorrect data about crop loan disbursement or of NODC. In such cases, NABARD may call back the excess refinance availed by bank within 3 days along with the penal interest of 1% pa.

9. सीमा का अंतिम-उपयोग End-use of limit

निधियों के विपथन, ब्याज सहायता/फसल ऋण के दुरूपयोग को टालने और स्वीकृत प्रयोजन के लिए निधियों के उचित अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे दिनांक 20 अगस्त 2015 के हमारे परिपत्र सं. 175/डॉर-47/2015 में निहित निर्देशों का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों का अनुपालन किया जाता है.

With a view to avoid diversion of funds, misutilization of interest subvention / crop loan and to ensure proper end use of funds for the purpose sanctioned, banks have been advised to follow the instructions contained in our Circular No. 175 / DoR-47 / 2015 dated 20 August 2015 which should be complied with.

10. विवरणियाँ Returns

एसटीआरआरबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मांगी गई निधि की जानकारी संबंधित तिमाही के पूरा होने के बाद 07 दिनों के भीतर संलग्न निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-**IV**) में तिमाही आधार पर नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाए.

As per the guidelines of STRRB fund information sought by RBI may be furnished to the Regional office of NABARD on quarterly basis in the prescribed format (annexure-IV) attached within 7 days after completion of the respective quarter.

अनुबंध II

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से उनके लेटरहेड पर लिया जाने वाला वचन-पत्र

UNDERTAKING TO BE OBTAINED FROM RRBs ON THEIR LETTERHEAD

मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक The Chief General Manager / General Manager
नाबार्ड NABARD
--------------- **क्षेत्रीय कार्यालय** Regional Office
--------------- .

प्रिय महोदय Dear Sir,

हमें यह विदित है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अल्पावधि (मौ.कृ.प.) के लिए नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई पुनर्वित्त पर ब्याज दर 4.5% प्रति वर्ष है जो भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा समय-समय पर परिवर्तन, यदि कोई हो, के अधीन है. हमें यह भी विदित है कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ब्याज सहायता की सुविधा भी समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है.
We are aware that the rate of interest on refinance provided by NABARD for ST (SAO) during the F.Y. 2021-22 is 4.5% p.a. subject to change, if any, by Govt. of India / Reserve Bank of India / NABARD from time to time. We are also aware that the facility of interest subvention made available by Government of India, is also subject to change from time to time.

हम समय-समय पर भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा किए गए परिवर्तनों, यदि कोई हो, का पालन करेंगे.

We undertake to abide by the change/s, if any, as may be made by the Govt. of India / Reserve Bank of India / NABARD from time to time.

सधन्यवाद, **Thanking you,**

आपका विश्वासी, **Yours faithfully**

नाम **Name**: --------------------------
पद **Designation**: अध्यक्ष **Chairman**
दिनांक **Date**: ----------------

NABARD

Annexure III

NABARD Utilisation (amount disbursed) towards credit deficient districts (Amount in Rs. Cr.)

S. No.	State	District	STRRB FY2021-22
1	Andaman Nicobar	Nicobar	No RRB
2	Arunachal Pradesh	Anjaw	
3	Arunachal Pradesh	Chunglang	
4	Arunachal Pradesh	Dibang Valley	
5	Arunachal Pradesh	East Kameng	
6	Arunachal Pradesh	East Siang	
7	Arunachal Pradesh	Kra Daadi	
8	Arunachal Pradesh	Kurung Kumey	
9	Arunachal Pradesh	Lohit	
10	Arunachal Pradesh	Longding	
11	Arunachal Pradesh	Lower Dibang Valley	
12	Arunachal Pradesh	Lower Siang	
13	Arunachal Pradesh	Lower Subansiri	
14	Arunachal Pradesh	Namsai	
15	Arunachal Pradesh	Pakke Kesang	
16	Arunachal Pradesh	Siang	
17	Arunachal Pradesh	Tawang	
18	Arunachal Pradesh	Tirap	
19	Arunachal Pradesh	Upper Siang	
20	Arunachal Pradesh	Upper Subansiri	
21	Arunachal Pradesh	West Kameng	
22	Arunachal Pradesh	West Siang	
23	Assam	Baksa	
24	Assam	Charaideo	
25	Assam	Chirang	
26	Assam	Dhemaji	
27	Assam	Dhubri	
28	Assam	Goalpara	
29	Assam	Hailakandi	
30	Assam	Hojai	
31	Assam	Karbi Anglong	
32	Assam	Kokrajhar	
33	Assam	North Cachar Hills	
34	Assam	South Salmara-Mankachar	
35	Assam	Udalguri	
36	Assam	West Karbi Anglong	

37	Bihar	Araria	
38	Bihar	Arwal	
39	Bihar	Aurangabad	
40	Bihar	Banka	
41	Bihar	Bhojpur	
42	Bihar	Darbhanga	
43	Bihar	Gaya	
44	Bihar	Gopalganj	
45	Bihar	Jamui	
46	Bihar	Jehanabad	
47	Bihar	Katihar	
48	Bihar	Khagaria	
49	Bihar	Kishanganj	
50	Bihar	Lakhisarai	
51	Bihar	Madhepura	
52	Bihar	Madhubani	
53	Bihar	Munger	
54	Bihar	Nalanda	
55	Bihar	Nawada	
56	Bihar	Paschimi Champaran	
57	Bihar	Purbi Champaran	
58	Bihar	Saharsa	
59	Bihar	Samastipur	
60	Bihar	Saran	
61	Bihar	Sheohar	
62	Bihar	Sitamarhi	
63	Bihar	Siwan	
64	Bihar	Supaul	
65	Bihar	Vaishali	
66	Chhattisgarh	Balod	
67	Chhattisgarh	Balrampur	
68	Chhattisgarh	Bastar	
69	Chhattisgarh	Bemetara	
70	Chhattisgarh	Bijapur	
71	Chhattisgarh	Dakshin Bastar Dantewada	
72	Chhattisgarh	Gariyaband	
73	Chhattisgarh	Jashpur	
74	Chhattisgarh	Kondagaon	
75	Chhattisgarh	Mungeli	
76	Chhattisgarh	Narayanpur	
77	Chhattisgarh	Sukma	
78	Chhattisgarh	Surajpur	

79	Chhattisgarh	Surguja	
80	Chhattisgarh	Uttar Bastar Kanker	
81	Delhi	North-East Delhi	No RRB
82	Gujarat	Dangs	
83	Gujarat	Dohad	
84	Haryana	Mewat	
85	Jharkhand	Chatra	
86	Jharkhand	Dumka	
87	Jharkhand	Garhwa	
88	Jharkhand	Giridih	
89	Jharkhand	Gumla	
90	Jharkhand	Jamtara	
91	Jharkhand	Khunti	
92	Jharkhand	Latehar	
93	Jharkhand	Pakur	
94	Jharkhand	Palamau	
95	Jharkhand	Sahebganj	
96	Jharkhand	Simdega	
97	Lakshadweep	Lakshadweep	
98	Madhya Pradesh	Alirajpur	
99	Madhya Pradesh	Anuppur	
100	Madhya Pradesh	Bhind	
101	Madhya Pradesh	Dindori	
102	Madhya Pradesh	Mandla	
103	Madhya Pradesh	Niwari	
104	Madhya Pradesh	Panna	
105	Madhya Pradesh	Sidhi	
106	Madhya Pradesh	Singrauli	
107	Madhya Pradesh	Tikamgarh	
108	Madhya Pradesh	Umaria	
109	Maharashtra	Gadchiroli	
110	Manipur	Bishenpur	
111	Manipur	Chandel	
112	Manipur	Churachandpur	
113	Manipur	Imphal East	
114	Manipur	Kakching	
115	Manipur	Kamjong	
116	Manipur	Kangpokpi	
117	Manipur	Noney	
118	Manipur	Pherzawal	
119	Manipur	Senapati	
120	Manipur	Tamenglong	

NABARD

121	Manipur	Tengnoupal	
122	Manipur	Thoubal	
123	Manipur	Ukhrul	
124	Meghalaya	East Garo Hills	
125	Meghalaya	East Jaintia Hills	
126	Meghalaya	Jaintia Hills	
127	Meghalaya	North Garo Hills	
128	Meghalaya	South Garo Hills	
129	Meghalaya	South West Garo Hills	
130	Meghalaya	South West Khasi Hills	
131	Meghalaya	West Garo Hills	
132	Meghalaya	West Khasi Hills	
133	Mizoram	Champhai	
134	Mizoram	Kolasib	
135	Mizoram	Lawngtlai	
136	Mizoram	Lunglei	
137	Mizoram	Mamit (Satha)	
138	Mizoram	Serchhip	
139	Nagaland	Kiphire	
140	Nagaland	Longleng	
141	Nagaland	Mon	
142	Nagaland	Peren	
143	Nagaland	Phek	
144	Nagaland	Tuensang	
145	Nagaland	Wokha	
146	Nagaland	Zunheboto	
147	Odisha	Gajapati	
148	Odisha	Kandhamal	
149	Odisha	Kendrapara	
150	Odisha	Malkangiri	
151	Odisha	Nawapara	
152	Odisha	Nawrangpur	
153	Sikkim	West Sikkim	No RRB
154	Telangana	Komram Bheem (Asifabad)	
155	Tripura	Dhalai	
156	Tripura	Gomati	
157	Tripura	Khowai	
158	Tripura	Sepahijala	
159	Tripura	Unakoti	
160	Uttar Pradesh	Ambedkar Nagar	
161	Uttar Pradesh	Auraiya	
162	Uttar Pradesh	Azamgarh	

163	Uttar Pradesh	Ballia	
164	Uttar Pradesh	Balrampur	
165	Uttar Pradesh	Banda	
166	Uttar Pradesh	Basti	
167	Uttar Pradesh	Chandauli	
168	Uttar Pradesh	Deoria	
169	Uttar Pradesh	Farrukhabad	
170	Uttar Pradesh	Gonda	
171	Uttar Pradesh	Ghazipur	
172	Uttar Pradesh	Jaunpur	
173	Uttar Pradesh	Jyotiba Phule Nagar(Amroha)	
174	Uttar Pradesh	Kanpur Dehat	
175	Uttar Pradesh	Kaushambi	
176	Uttar Pradesh	Kushi Nagar	
177	Uttar Pradesh	Maharajganj	
178	Uttar Pradesh	Mau	
179	Uttar Pradesh	Pratapgarh	
180	Uttar Pradesh	Sant Kabir Nagar	
181	Uttar Pradesh	Shravasti	
182	Uttar Pradesh	Sidharthanagar	
183	Uttar Pradesh	Sitapur	
184	Uttar Pradesh	Sultanpur	
185	Uttar Pradesh	Unnao	
186	Uttarakhand	Bageshwar	
187	Uttarakhand	Rudraprayag	
188	Uttarakhand	Tehri Garhwal	
189	West Bengal	Bankura	
190	West Bengal	Jhargram	
191	West Bengal	Puruliya	

NABARD

अनुबंध Annexure-IV

30 सितंबर/31 दिसंबर/31 मार्च को समाप्त तिमाही

Quarter ended as on 30 Sept/31 December/31 March

राज्य State	बैंक का नाम Name of the Bank	औसत ऋण राशि (रु. लाख में) Average amount of loan (Rs. In lakh)	प्रभारित ब्याज दर (%) Interest rate charged (%)	प्रभारित प्रसंस्करण शुल्क (रुपए) Processing fees charged (Rupees)

****